संख्या- 44 /2021-1664/58-2021-38/2021

प्रेषक

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में गत वर्ष प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश में राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23/बजट/2021-22, दिनांक 16.06.2021 एवं पत्र सं0-46/बजट/2021-22, दिनांक 27.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में दिनांक 01.04.2021 को अवशेष केन्द्रांश 3360.00 लाख के सापेक्ष आय-व्ययक प्राविधान की सीमा के दृष्टिगत केन्द्रांश की धनराशि रू0 1116.17 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रू0 744.11 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश 1230.11 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल प्रस्तावित धनराशि रू0 3090.39 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 933.07 लाख (जिसमें केन्द्रांश रू0 339.45 लाख, अनिवार्य राज्यांश रू0 226.30 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रू0 367.32 लाख)(धनराशि रू नौ करोड़ तैतीस लाख सात हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अनुदान सं0-83 अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन(के.60/रा.40 - के. + रा.)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित	अवमुक्त की जा रही धनराशि			कुल योग
				केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश	
1	27-सब्सिडी	2988.12	2988.11	317.48	211.65	367.32	896.45
2	42-अन्य व्यय	85.78	85.78	15.44	10.29	0.00	25.73
3	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	21.78	16.50	6.53	4.36	0.00	10.89
	योग-	**3095.68**	**3090.39**	**339.45**	**226.30**	**367.32**	**933.07**

(रू0-नौ करोड़ तैतीस लाख सात हजार मात्र)

(1) निदेशक उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित पुनर्वैध केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक उद्यान द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(7) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(8) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान का उत्तरदायित्व रहेगा।

(9) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(10) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) निदेशक उद्यान सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(12) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(13) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(14) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) योजनान्तर्गत अन्य व्यय एवं प्रशिक्षण मद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 60:40 निहित होगा। सब्सिडी मद में केन्दांश, राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश का अनुपात शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015, दिनांक 12.07.2017 के अनुसार निहित होगा।

(17) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(18) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी :-

i वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभाविन्त किया जायेगा।

ii योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

iii लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(19) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(20) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(21) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(22) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(23) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-789-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश सं0-यू0ओ0-ई-1-97/दस-2021, दिनांक 27.08.2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या- 44/2021-1664(1)/58-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-7-3/2020-आर0एफ0एस0-III, दिनांक 12.04.2021, एवं पत्र सं0-17-4/2021-आर0एफ0एस0-III, दिनांक 10.05.2021 के संदर्भ में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षक)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
(5) निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in